संख्या-17/2020/403/71-2-2020-02/2018

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व पक्ष में पुनरीक्षित वेतन का अवशेष भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3234/लेखा/2019, दिनांक 17.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व पक्ष में पुनरीक्षित वेतन का अवशेष भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 600.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 के मानक पद 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) में प्राविधानित धनराशि रू0 2300.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या--/2019/1300/71-2-2019-02/2018, दिनांक 25.06.2019 द्वारा रू0 1700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2019/वे0आ0-2-245/दस-2019-04(एम)/2016, दिनांक 03 जून, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 600.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-5/2019/वे0आ0-2-245/दस- 2019-04(एम) /2016, दिनांक 03 जून, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

8- धनराशि का कोषागार से संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

संख्या-17/2020/403(1)/71-2-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, (लखनऊ)।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रक) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in